भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 418] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 1984/कार्तिक 1, 1906
No. 418] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 1984/KARTIKA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984

सा०का०नि० 739(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 में,—

(3) नियम 4 के पश्चात् , निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"4क—स्टाफ कलाकार की नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति:—

(1) आकाशवाणी और दूरदर्शन में संविदा आधार पर कार्य कर रहे स्टाफ कलाकार की नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति निम्नलिखि प्रक्रिया के द्वारा शासित होगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे स्टाफ कलाकार की, जिसने सरकारी कर्मचारी होने का विकल्प दिया है और 28 फरवरी, 1982 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है आरम्भिक गठन में नियमित कार्यक्रम काडर पर उसकी नियुक्ति के लिये एक छानबीन समिति द्वारा, जिसका गठन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा, छानबीन की जायेगी;

(ख) छानबीन समिति में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे के नहीं होंगे और ऐसे दो से अधिक प्रतिनिधि होंगे, जो सदस्य होंगे;

(ग) छानबीन समिति, प्रत्येक व्यक्ति की अर्हता, अनुभव और सेवा के अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियमित कार्यक्रम काडर के उपयुक्त श्रेणी में रखे जाने/लगाये जाने के लिये उपयुक्त समझे गये हैं और उसे संघ लोक सेवा आयोग को उसकी सिफारिशों के लिये भेजेगी।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग, ऐसी सूची प्राप्त होने पर, सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार करेगा और सुसंगत श्रेणियों के लिये उपयुक्त पाये गये ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये अपनी सिफारिश सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजेगा;

परन्तु ऐसे व्यक्ति को, जिसे सरकारी कर्मचारी होने के अयोग्य पाया जाता है, उसकी संविदा की उन्हीं शर्तों और निबन्धनों के अधीन बने रहने दिया जायेगा।

(ङ) सरकारी कर्मचारी हो जाने के पश्चात् स्टाफ कलाकार एक पृथक प्रवर्ग के रूप में बने रहेंगे और उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता, उस श्रेणी में नियमित आधार पर उनके पद ग्रहण करने की तारीख के आधार पर अवधारित की जायेगी;

(च) प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिये, नियमित कार्यक्रम काडर के अधिकारियों की और उन स्टाफ कलाकारों की, जो सरकारी कर्मचारी हो गये हैं, ज्येष्ठता की अलग-अलग सूचियां होंगी; दोनों सूचियों में से अगली श्रेणी में प्रोन्नति कोटा आधार पर होगी, जिसका अनुपात विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख का प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की विद्यमान संख्या पर आधारित होगा,

(छ) किसी अधिकारी की प्रोन्नति के बारे में विचार करते समय उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जायेगा, परन्तु यह तब जब कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, इस तथ्य को विचार में लाये बिना कि उन्होंने उस श्रेणी मे विहित सेवाकाल पूरा कर लिया है या नहीं;

(ज) किसी ऐसे स्टाफ कलाकार का, जो सरकारी कर्मचारी हो गया है, नियमित कार्यक्रम काडर में विलयन, कार्यक्रम काडर में अगली उच्चतर श्रेणी में उसकी प्रोन्नति के समय ही किया जायेगा;

(2) उप-नियम (i) के अधीन रहते हुए, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ-5 से 13 मे विनिर्दिष्ट ।"

(2) क्रम सं 1, 2, 5 और 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
1. केन्द्र निदेशक (सामान्य श्रेणी) .* .*इसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित है, जिसका पदनाम निम्नानुसार है:— 1. केन्द्र निदेशक (सामान्य श्रेणी) 2. कार्यक्रम निदेशक 3. केन्द्र निदेशक (कमर्शियल) 4. उप निदेशक (विक्रय) 5. उप निदेशक (विदेश सेवा प्रभाग) 6 योजना अधिकारी (कार्यक्रम) 7. उप-निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम) 8. उप निदेशक (कार्यक्रम) 9. जन सम्पर्क अधिकारी, दूरदर्शन 10. मुख्य प्रस्तुतकर्ता 11 उप मुख्य प्रस्तुतकर्ता	98† (1983) (इसमें स्टाफ कलाकार के 13 पद सम्मिलित है) †कार्यभार के आधार पर पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	1100-50-1600 रुपये	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप मे रहते है) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत गई अन्तिम तारीख होगी

7	8
आवश्यक :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य। (2) 7 वर्ष का अनुभव, जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी हैसियत में निम्नलिखित के संबंध में 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी है। (क) ज्येष्ठ रूप मे या पर्यवेक्षी हैसियत में प्रसारण और दूरदर्शन के लिये कार्यक्रम की योजना और प्रस्तुतीकरण ; या	नहीं।

(ग) संगीत, नाटक आदि से संबंधित कार्य के संबंध में; या

(घ) विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार कार्य के संबंध में, या

(ङ) जन सम्पर्क माध्यम अनुसंधान और जन सम्पर्क माध्यम अभियानों के संबंध में।

वांछनीय :—(1) हिन्दी और अधिमान्यतः किसी एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान।

(2) सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव।

(3) अभ्यर्थियों के अपने विशिष्ट क्षेत्र में रचनात्मक प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रकाशित कृति का साक्ष्य।

टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

9	10	11	12	13
(1) प्रोन्नति अधिकारियों के लिए 2 वर्ष (2) सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये 1 वर्ष।	(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा सहायक केन्द्र निदेशक, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।	(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी—सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. महानिदेशक आकाशवाणी—सदस्य 3. महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	6क
2. सहायक केन्द्र निदेशक: * *इसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं, जिनका पदनाम निम्नानुसार है :- 1. सहायक केन्द्र निदेशक 2. सहायक कार्यक्रम निदेशक 3. सहायक केन्द्र निदेशक (निरीक्षण) 4. अनुदेशक (कार्यक्रम) 5. उप सहायक कार्यक्रम नियंत्रक 6. क्रीड़ा कार्यक्रम आयोजक 7. सहायक विक्रय नियंत्रक 8. वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	189** (इसमें स्टाफ कलाकार के 33 पद भी सम्मिलित हैं)।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	900-40-1100-द. रो.-50-1400 रु.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।	नहीं

7	8	9
आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य । 2. कम से कम एक भारतीय भाषा साहित्य का अच्छा ज्ञान (अभ्यर्थी को डिग्री स्तर पर इसे एक विषय के रूप में लिया लिया होना चाहिए या उसे उस भाषा में प्रकाशित, रचनात्मक या आलोचनात्मक कृति का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए) । 3. भारत के सांस्कृतिक विरासत और देश में सांस्कृतिक तथा कलात्मक अभिव्यक्तिय के विभिन्न रूप का गहन ज्ञान (साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा) । 4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी रुचि । 5. किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन या शैक्षणिक संस्था या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक संस्थान में उत्तरदायि हैसियत में लगभग पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय :—(1) नाटक, वाद-विवाद, आदि जैसी सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करने का अनुभव । (2) हिन्दी का ज्ञान या यदि हिन्दी मातृभाषा हो तो किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान । (3) अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान । टिप्पण : 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिय के अभ्यर्थियो की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों हो सकेंगे ।	नहीं	1. प्रोन्नत अधिकारी के लिए 2 वर्ष । 2. सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए एक वर्ष ।

10	11	12	13
(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा ।	प्रोन्नति :— ऐसे कार्यक्रम कार्यपालक, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यपालक (चयन श्रेणी) की श्रेणी में की गई सेवा, यदि कोई हो, भी है ।	(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्यक्रम) —सदस्य 3. उप सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य 4. उप महानिदेशक (प्रशासन) —सदस्य (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" प्रोन्नति समिति :— 1. उप महानिदेशक (कार्यक्रम) —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (प्रशासन) —सदस्य 3. उप सचिव (प्रसारण); सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	प्रोन्नति और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	6क
5 केन्द्र निदेशक * *इसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित है, जिनका पदनाम निम्नानुसार है — 1. केन्द्र निदेशक 2. कार्यक्रम निदेशक (नीति) 3 निदेशक, विदेश सेवा प्रभाग 4. निदेशक, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) 5. निदेशक, कार्यक्रम योजना और विकास 6 विक्रय निदेशक 7. अपर निदेशक, विदेश सेवा प्रभाग 8. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र 9. विक्रय नियंत्रक, दूरदर्शन 10 कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शक 11. क्रीड़ा निदेशक, आकाशवाणी 12. क्रीड़ा नियंत्रक, दूरदर्शन	37** (1983) (जिसमें स्टाफ कलाकार के पद भी सम्मिलित है)। **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	1500-60-1800-100-2000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

15	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : - ऐसा केन्द्र निदेशक (सामान्य श्रेणी) (जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति 1 अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2 सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य 3. महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	किसी अधिकारी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	6क
12 उप महानिदेशक	9* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह क राजपत्रित	2250-125/2-2500 रुपए	चयन	लागू नही होता	लागू नहीं होता

7	8	9
लागू नही होता	लागू नही होता	2 वर्ष

10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति ऐसे केन्द्र निदेशक, जिन्होने उस श्रेणी म 5 वर्ष नियमित सेवा की है। नोट 2250-2500 रुपए के वेतनमान मे दर्जा बढाए जाने से पहले 2000-2500 रुपए के वेतनमान म उप महानिदेशक के पदो पर नियमित पदधारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन प्रथमतया आयोग द्वारा किया जाएगा और उपयुक्त पाए जाने पर इन्हे प्रारंभिक गठन पर दर्जा बढ़ाए गए पदो पर नियुक्त हुआ समझा जाएगा।	(प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य (3) महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य (4) महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य (पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष (2) महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य (3) महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य टिप्पण पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नही करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता मे फिर से होगी।	किसी अधिकारी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है।

(ख) क्रम संख्या 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियो के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	6क
29 कार्यक्रम कार्यपालक* (चयन श्रेणी) इसमे निम्नलिखित पद सम्मिलित है, जिनका पदनाम निम्नानुसार है :— 1 कार्यक्रम कार्यपालक (चयन श्रेणी) 2 प्रस्तुतकर्ता (चयन श्रेणी) 3 विज्ञान अधिकारी 4 प्रस्तुतकर्ता श्रेणी-1	71** (1983) **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	700-40-900-द रो.-40-1100-50-1300 रु	अचयन	लागू नही होता	लागू नही होता

7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे कार्यक्रम कार्यपालक, जिन्होंने उस श्रेणी में 11 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य 3. उप महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य 4 निदेशक (ए और एफ), आकाशवाणी—सदस्य	किसी अधिकारी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या 45011/83/82 (1)-बी (ए)]
शिव राज सिंह, संयुक्त अवर सचिव

*टिप्पण: आकाशवाणी (समूह "क" पद) नियम, 1963 नामक मूल नियम, सा०का०नि० 24 तारीख 23-12-1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे :—

1. अधिसूचना सं० 1/8/62-बी(ए), तारीख 9-1-1984
2. अधिसूचना सं० 11/11/62-बी(ए), तारीख 18-6-1964
3. अधिसूचना सं० 5/24/62-बी(ए), तारीख 31-8-1965
4. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी(ए), तारीख 17-9-1965
5. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी(ए), तारीख 27-11-1965(सा०का०नि० सं० 1820, तारीख 11-12-65)
6. अधिसूचना सं० 13/78/62-बी(ए), तारीख 30-11-1965
7. अधिसूचना सं० 5/15/65-बी(ए), तारीख 28-7-1975
8. अधिसूचना सं० 11/8/65-बी(ए), तारीख 9-9-1966
9. अधिसूचना सं० 5/3/67-बी(ए), तारीख 7-10-1967
10 अधिसूचना सं० 6/107/65-टी०वी०, तारीख 3-7-1968
11. अधिसूचना सं० 11/5/65-बी(ए), तारीख 13-9-1968
12. अधिसूचना सं० 7/5/68-बी(ए), तारीख 9-10-1968
13. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 14-11-1968
14. अधिसूचना सं० 17/8/68बी(ए), तारीख 6-6-1969
15. अधिसूचना सं० 17-6-68-बी(ए), तारीख 4-6-1969
16 अधिसूचना सं० 11/5/65-बी(ए), तारीख 2-9-1969
17. अधिसूचना सं० 17/2/69-बी(ए), तारीख 19-11-1969
18. अधिसूचना सं० 17/1/69-बी(ए), तारीख 23-2-1970
19. अधिसूचना सं० 17-3-69-बी(ए), तारीख 16-9-1970
20. अधिसूचना सं० 1/2/70-बी(ए), तारीख 18-2-1971
21. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 22-3-1971
22 अधिसूचना सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 6-12-1971
23 अधिसूचना सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 10-1-1973
24 अधिसूचना सं० 1/3/70-बी(ए), तारीख 18-5-1972
25. अधिसूचना सं० 1/9/71-बी(ए), तारीख 6-6-1972
26. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 13-6-1972
27. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी(ए), तारीख 30-9-1972
28. अधिसूचना सं० 1/6/70-बी(ए), तारीख 6-12-1972
29. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी(ए), तारीख 30-9-1972
30. अधिसूचना सं० 5/39/70-टी०वी०, तारीख 3-1-1973
31. अधिसूचना सं० 1/4/73-बी(ए), तारीख 2-6-1973

32. अधिसूचना सं० 1/10/71-बी(ए), तारीख 10-9-1973
33. अधिसूचना सं० 1/2/73-बी(ए), तारीख 29-9-1973
34. अधिसूचना सं० 1/3/72-बी(ए), तारीख 27-10-1974 (सा०का०नि०सं० 1195, तारीख 9-11-1974)
35. अधिसूचना सं० 5/33/70-बी(ए), तारीख 30-10-1974-सा०का०नि०सं० 1220, तारीख 16-11-1974)
36. अधिसूचना सं० 1/18/73-बी(ए), तारीख 18-11-1974
37. अधिसूचना सं० 5/17/74-बी(ए), तारीख 13-2-1975(सा०का०नि०सं० 267 तारीख 22-2-1975)
38. अधिसूचना सं० 5/66/73-टी वी , तारीख 5-4-1975
39. अधिसूचना सं० 1/1/71-बी(ए), तारीख 30-6-1975(सा०का०नि०सं० 895, 19-7-75)
40. अधिसूचना सं० 1/3/75-बी(ए), तारीख 19-22-1975
41. अधिसूचना सं० 1/8/75-बी(ए), तारीख 20-2-1976
42. अधिसूचना सं० 5/14/75-बी(ए), तारीख 23-3-1976
43. अधिसूचना सं० 5/10/76-बी(ए), तारीख 7-5-1976
44. अधिसूचना सं० 1/1/73-बी(ए), तारीख 19-7-1976
45. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 16-8-1977(सा०का०नि०सं० 1184, तारीख 10-9-1977)
46. अधिसूचना सं० 12019/7/77-बी(ए), तारीख 15-9-1977(सा०का०नि०सं० 1358, तारीख 8-10-1977)
47. अधिसूचना सं० 12018/5/76,बी(ए), तारीख 15-12-1977
48. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 20-2-1978
49. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 5-5-1978
50. अधिसूचना सं० 12019/8/78-बी(ए), तारीख 26-12-1978(सा०का०नि०सं० 94, तारीख 20-1-1979)
51. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 18-4-1978
52. अधिसूचना सं० 12108/1/76-बी(ए), तारीख 18-7-1980
53. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 1-11-1980
54. अधिसूचना सं० 12019/9/77-बी(ए), तारीख 9-1-1981
55. अधिसूचना सं० 12024/13/76-बी(ए), तारीख 8-7-1981(सा०का०नि०सं० 722, तारीख 1-8-1981)
56. अधिसूचना सं० 12019/1/81-बी(ए), तारीख 26-9-1981
57. अधिसूचना सं० 12018/1/81-बी(ए), तारीख 31-8-1981(सा०का०नि०सं० 860, तारीख 19-9-1981)
58. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 31-7-1982
59. अधिसूचना सं० 12019/1/81-बी(ए), तारीख 1-3-1983
60. अधिसूचना सं० 19011/12/81-बी(ए), तारीख 11-8-83

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 1984

G.S.R. 739(E):—In exercise of the powers conferred by the provi.o to article 300 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group A Posts) Recruitment Rules 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963

(1)(1) after rule 4 the following rule shall be inserted, namely:—

"4A'. Appointment of Staff artist as regular Government employee:—

(1) The appointment of staff artist working in All India Radio and Doordarshan on contract basis to that of regular Government employee shall be governed by the following procedures, namely:—

(a) a staff artist who has opted to become a Government employee and has not attained the age of 58 years on the 2 8th Feb ruary, 1982 shall be screened by a Secreening Committee to be constituted by the Union Public Service Commission for his appointment to post in the regular programme cadre in the intial constitution.

(b) the Screening Committee shall consist of the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, who shall be the President and not more than two representatives not below the rank of Joint Secretary to be nominated by the Ministry of Information and Broadcasting who shall be members thereof;

(c) the Screening Committee shall, after taking into account the qualification, experience and record of service of every person prepare a list of such persons considered suitable for placement/fitment in the appropriate grade in the regular programme cadre and submit the name to the Union Public Service Commission for their recommendation;

(d) the Union Public Service Commission shall, on receipt o f such list, consider the suitablity of persons included in the list and forward its recommendation for appointment of such persons found suitable to the respective grades to the Ministry of Information and Broadcasting:

Provided that a person who is found unfit to become a Government employee shall be allowed to continue under the same terms and conditions of his contract.

(e) staff artists after becoming Government employees shall continue as a separate category and their *inter se* seniority shall be determined on the basis of their date of joining in the post in the grade on regular basis;

(f) for the purposes of promotion there shall be separate lists of seniority of officers of regular programme cadre and that of staff artists who have become Government employees; promotion to the next grade from the two lists shall be on quota basis, the ratio of which shall be based on the existing number of posts in each category on the date of holding of the Departmental Promotion Committee;

(d) for considering an officer for promotion all persons senior to him in the grade shall also be considered provided they have successfully completed their period of probation irrespective of the fact whether they have rendered the prescribed length of service in the grade;

(h) the merger of a staff artist who has become a Government employee with the regular programme cadre shall be made only at the time of his promotion to the next higher grade in the programme cadre.

(2) Subject to sub-rule (1), the method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schcule."

(2) In the Schedule:—

(a) for serial Nos. 1, 2, 5 & 12 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	6(a)
1. Station Director (Ordinary Grade)** **This includes posts designated as : 1. Station Director (Ordinary Grade). 2. Director of Programme, 3. Station Director (Commercial). 4. Deputy Director (Sales). 5. Deputy Director (External services) 6. Planning Officer (Programmes). 7. Deputy Director (Staff training programme). 8. Deputy Director (Programme). 9. Public Relation Officer, Doordarshan. 10. Chief Producer. 11. Deputy Chief Producer.	98* (1983) (including 13 posts of Staff Artists) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600.	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govrnment servants upto 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No

7	8	9	10
Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years experience including 3 years administrative experience in a supervisory capacity of. (a) planning and production of programme for broadcasting and television in a senior or supervisory capacity; or	No.	(i) 2 years for promotee officers. (ii) 1 year for direct recruit.	(i) 75% by promotion failing which by direct recruit. (ii) 25% by direct recruitment

7
(b) journalism of creative writing in any established newspaper or book publishing firm or company or (c) work connected with music, drama, etc; or (d) education extension work in different development fields; or (e) mass media research or mass media campaigns. Desirable: (i) Knowledge of Hindi and preferably one other Indian language. (ii) Experience of organising cultural activities. (iii) Evidence of published work of creative production in the candidates own field of specialisation. (iv) Participation in casual radio programme and broadcasts. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2:—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of the selection, the Union public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

11	12	13
Promotion Assistant Station Director with 3 years regular service in the grade	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union public Service Commission—Ch irman (ii) Secretary/Joint Secretary (Broad casting), Ministry of Information and Broadcasting —Member (iii) Director General, All India Radio —Member. (iv) Director General, Doordarshan—Member 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering conarmation) (i) Secretary/Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information & Broadcasting —Chairman (ii) Director General, All India Radio —Member (iii) Director General, Doordarshan. —Member Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	6(a)
2. Assistant Station Director **This includes posts designated as : (1) Assistant Station Director (2) Assistant Director of Programmes. (3) Assistant Station Director (Inspection) (4) Istructor (Programmes) (5) Deputy Assistant Controller of Programmes. (6) Sports Programme Organiser. (7) Assistant Controller of Sales. (8) Senior Producer.	189* (This Includes 33 posts of Staff Artist)	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 900-40-1100-EB-50-1400.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than thsese in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No

*Subject to variation dependent on workload.

7	8	9	10
Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent (ii) Sound knowledge of the literature of atleast one Indian language (A candidate should have offered it as a subject for a degree or should furnish evidence of published, creative or critical work in the language.) (iii) Intimate knowledge of India's cultural heritage and of different form of cultural and artistic expressions in the country. (evidence to be furnished.). (iv) Likely interest in national and international affairs. (v) 5 years' experience in a responsible capacity in a Government or Semi Government organisation or educational institution or commercial concern of repute. Desirable:— (i) Experience of organising cultural activities likely Drama, debate etc. (ii) Knowledge of Hindi or if Hindi is the mother language, of any other Indian Language. (iii) Knowledge of a foreign language other than English. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	(i) 2 years for promotee officer. (ii) One year for direct recruit.	(i) 75% by promotion failing which by direct recruitment. (ii) 25% by direct recruitment. Note : For a period of first 3 years from the date of commencement of these rules, the post shall be filled 100% by promotion.

11	12	13
Promotion: Programme Executive with 5 years regular service in the grade including service if any, rendered in the grade of Programme Executive (Selection Grade)	(1) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (ii) Deputy Director General (Programems) —Member (iii) Deputy Director General (Administration) —Member (iv) Deputy Secretary (Broadcasting) Ministry of Information and Broadcasting. —Member (2) group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Deputy Director General (Programmes) —Chairman. (ii) Deputy Director General (Administration) —Member (iii) Deputy Secretary (Broadcasting) Ministry of Information and Broadcasting. —Member. Note :—The Proceedings of the Departmental Protion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman of a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion and direct recruitment

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
5. Station Director* *This includes posts designated as :— 1. Station Director 2. Director of Programmes (Policy) 3. Director, (External Services Division) 4. Director, Staff Training Institute (programme) 5. Director, Programme Planning and Development. 6. Director of Sales. 7. Additional Director of External Services Division 8. Director, Doordarshan Kendra. 9. Controller of Sales, Doordarshan.	37** (1983) (including 2 posts of Staff Artist). **Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Selection	Not aplicable.	Not applicable.	Not applicable.

1
10. Controller of Programmes, Doordarshan.
11. Director of Sports, All India Radio
12. Controller of Sports, Doordarshan.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By promotion.	Promotion Station Director (Ordinary Grade) with 5 years' regular service in the grade.	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion). (i) Chairman/Member, Union public Service Commission—Chairman (ii) Secretary/Joint Secretary (Broadcasting.') Ministry of Information and Broadcasting—Member (iii) Director General, All India Radio—Member. (iv) Director General Doordarshan—Member. 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) (i) Secretary/Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Chairman. (ii) Director General, All India Radio—Member. (iii) Director General, Doordarshan—Member. Note :— The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union public Service Commission not necessary while selecting an officer for appointment to the post.

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
12. Deputy Director General	9* (1983) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 2250-125/2-2500.	Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By promotion	Promotion Station Directors with 7 years' regular service in the grade. Note : The suitability of the regular holders of the posts of Deputy Director General in the scale of Rs. 2000-2250 prior to upgradation in the scale of Rs. 2250-2500 will be initially assessed by the Commission and if found suitable, they shall be deemed to have been appointed to the upgraded posts at the initial constitution.	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) (i) Chairman,/Member, Union public Service Commission—Chairman. (ii) Secretary/Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Member. (iii) Director General, All India Radio—Member. (iv) Director General, Doordarshan—Member. 2. Group 'A' Departmental promotion Committee (for considering confirmation): (i) Secretary/Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Chairman. (ii) Director General, All India Radio—Member. (iii) Director General, Doordarshan—Member. Note :—The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while selecting an officer for appointment to the post.

(b) After serial number 28 and the entries relating thereto the following shall be added, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
29. Programme Executive (Grade)—This includes posts designated as 1. Programme Executive (Selection Grade) 2. Producer (Selection Grade) 3. Science Officer. 4. Producer Grade I.	71* (1983) *Subject to variation dependent on workoald.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	17	11	12	13
Not applicable.	Not applicable	By promotion	Promotion Programme Executives 11 years regular service in the grade.	Group 'A' Departmental Promotion Committee 1. Chairman/Member Union Public Service Commission (Chairman (ii) Deputy Director General, All India Radio Member (iii) Deputy Director General Doordarshan —Member (iv) Director (A&F) All India Radio —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment to the post.

[No. 45011/83/82(1)-B(A)]
S.R. SINGH, Jt. Secy.

*Note :—The principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recrintment Rules, 1983, were notified GSR No. 24 dated 23-12-1983. Subsequently the following amendments were notified :

1. Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-4-1964.
2. ,, No. 11/11/62-B(A), dated 1 8-6-1964.
3. ,, No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965.
4. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965
5. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-1965 (GSR No. 1820, dated 11-12-65)
6. ,, No. 13/78/62-B(A), dated 30-11-1965.
7. ,, No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-1965
8. ,, No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-1966
9. ,, No. 6/3/67-B(A), dated 7-10-1967
10. ,, No. 6/107/65-TV, dated 3-7-1968
11. ,, No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-68
12. ,, No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-1968
13. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 14-11-1968
14. ,, No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-1969
15. -,, No. 17/6/68-B(A), dated 4-6-1969.
16. ,, No. 11/5/65-B(A), dated 2-9-1969.
17. ,, No. 17/2/69-B(A), dated 19-11-1969.
18. ,, No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-1970.
19. ,, No. 17/3/69-B(A), dated 16-9,1970.
20. ,, No. 1/2/70-B(A), dated 18-2-1971.
21. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 22-3-1971.
22. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 6-12-1971.
23. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 10-1-1972.
24. ,, No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-1972.
25. ,, No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972.
26. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-1972.
27. ,, No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
28. ,, No. 1/6/70-B(A), dated 6-12-1972.
29. ,, No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
30. ,, No. 5/39/77-TV, dated 3-1-1973.
31. ,, No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-1973.
32. ,, No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-1973.
33. ,, No. 1/2/73-B(A), dated 29-9-1973.
34. ,, No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-1974 (GSR No. 1196,9-11-1974)
35. ,, No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-1974 (GSR No. 1220, 16-11-74)
36. ,, No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-1974
37. ,, No. 5/17/74-B(A), dated 13-2-1975 (GSR No. 267, 22-2-75)
38. ,, No. 5/66/73-TV, dated 5-4-1975
39. ,, No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-1975 (GSR No. 895, 19-7-75)
40. ,, No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-1975.
41. ,, No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-1975.
42. ,, No. 5/14/75 B(A), dated 23-3-1976.
43. ,, No. 5/10/76-B(A) dated 7-5-1976.

44. Notification No. 1/1/73,B(A), dated 19-7-1976
45. ,, No..12018/5/76-B(A), dated 16-8-1977.
(GSR No. 1184, 10-9-77)
46. ,, No. 12019/7/77-B(A), dated 15-9-1977 (GSR No. 1358, 8-10-1977)
47. ,, No. 12018/5/76-B(A) dated 15-12,1977.
48. ,, No. 12018/4/76-B(A), dated 20-2-1978.
49. ,, No. 12018/5/76-B(A), dated 4-6-1978.
50. ,, No. 12019/8/78-B(A), dated 26-12-78 (GSR No. 94, 20-1-1979..
51. ,, No. 12018/5/76-B(A), dated 18-4-1978.
52. ,, No. 120181/76-B(A), dated 18-7-1980.
53. ,, No. 12018/5/76-B(A), dated 1-11-1980.
54. ,, No. 12019/9/77-B(A), dated 9-1-1981.
55. ,, No. 12024/13/76-B(A), dated 8-7-1981 (GSR No. 722 dated 1-8-1981).
56. ,, No. 12019/1/81-B(A), dated 26-9-1981.
57. ,, No. 12018/1/81-B(A), dated 31-8-1981. (GSR No. 869, dated 19-9-1981).
58. ,, No. 12018/4/76-B.A., dated 31-7-1982.
59. ,, No. 12019/1/81-B(A), dated 1-3-1983.
60. ,, No. 19011/12/81-B(A), dated 11-8-1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984